UPSR010014252026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538**

जमानत आवेदन नं०-574/2026

इरशाद अली उम्र 20 वर्ष पुत्र लिल्लाही,

निवासी–बरगदवा, दा0–शाहपुर बरगदवा, थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–461/2025
धारा–115(2), 352, 351(3), 80 (2), 85 बी0 एन0 एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट
थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 20.07.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **इरशाद अली** की ओर से अपराध संख्या 461/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 80 (2), 85 बी0 एन0 एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः– वादिनी मुकदमा शकीना ने थानाध्यक्ष थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को दिनांक 30.12.2025 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी शादी इरसाद पुत्र लिल्लाही निवासी ग्राम बरगदवा दा0 शाहपुर बरगदवा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के साथ हुई है उसका आना जाना हो गया। वह अपने पति के घर पर रहती है। घटना दिनांक 28.12.2025 को समय करीब शाम 04 बजे की है कि घरेलू विवाद को लेकर विपक्षी 1. पति इरशाद पुत्र लिल्लाही 2. लिल्लाही पुत्र जुमई 3. सास हसीना पत्नी लिल्लाही निवासीगण ग्राम बरगदवा ने उसे भद्दी–भद्दी गाली दिया लाठी डण्डा थप्पड़ मुक्का से मारा पीटा है और जान से मार देने की धमकी दिया है। उसे चोट लगी है। वह सूचना देने आयी है। आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.07.20 16:35:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादिनी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त एवं दो अन्य के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 में दिनांक 30.12.2025 को पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त तथाकथित घटना से अनभिज्ञ व अज्ञान है तथा महज प्रथम सूचक द्वारा परेशान करने हेतु विद्वेषपूर्ण तरीके से अभियुक्त को फंसाया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई भूमिका नहीं है और ना ही उक्त घटना से आवेदक/अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार है। मृतका की मृत्यु उसके मां बाप के घर पर हुई है जिस कारण भी आवेदक/अभियुक्त पर क्रूरता का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आवेदक/अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई दोष नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने कभी भी कोई दहेज की मॉग नहीं की है। मात्र कुत्सित भावनाओं के कारण फंसाया गया है। मृतका के गोद में अबोध बच्ची है जो वर्तमान समय में आवेदक/अभियुक्त की मॉ (सास) के पास है। वादी मुकदमा ने अब तक उस बच्चे का कोई खोज खबर नहीं लिया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

4– इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण ने मिलकर वादिनी मुकदमा को मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा उनकी प्रताड़ना से बाद में वादिनी मुकदमा ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक/अभियुक्त जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा केस डायरी एवं उसके साथ उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अपराध संख्या 461/2026, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। शव विच्छेदन आख्या में मृतका को मृत्यु पूर्व चार चोटें आना अंकित किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0 प्र0 गोण्डा की आख्या के अनुसार मृतका के

विसरा के भागों (1–5) में आर्गेनोक्लोरो इन्सेक्टिसाइड विष पाया गया है। अतः अपराध की गम्भीरता, अपराध हेतु अधिकतम दण्ड, अपराध में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका तथा साक्षियों के केस डायरी में अंकित बयानों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त इरशाद अली का जमानत आवेदन इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **इरशाद अली** की ओर से अपराध संख्या 461/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 80 (2), 85 बी0 एन0 एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 20.07.2026